[illegible] नकल दी गयी। [illegible] वास्ते जवाब आपत्ति दि 26.8.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

26.8.19 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। आपत्ति का जवाब पेश हुआ तथा बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र। आपत्ति दि 4.9.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 13–9–2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि पूर्व में प्रस्तुत विभाजन स्कीम पर माननीय न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 996/2 के आवागमन हेतु रास्ता को ध्यान में रखते हुये विभाजन स्कीम प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये किन्तु विभाजन स्कीम बिल्कुल विपरीत प्रस्तुत की गयी है जो गलत है तथा कानूनन मान्य नहीं है। इसलिये विभाजन स्कीम

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[illegible] डिक्री किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पूर्व में भी दो बार विभाजन स्कीम प्रस्तुत की गयी है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा दोनों बार ही आपत्तियां प्रस्तुत की गयी है तथा वर्तमान में प्रस्तुत विभाजन स्कीम पर भी आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में कोई रूचि नहीं है तथा प्रकरण को लम्बित रखना चाहता है। इसके अलावा प्रतिवादी का उसकी खातेदारी की भूमि तक पहुंच के लिये रास्ता है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती हहै।

तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया। खातेदारों को उनके हिस्सानुसार भूमि दी गयी है तथा प्रतिवादी को उनकी आराजी खसरा नम्बर 996/2 तक पहुचने के लिये रास्ता भी प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में हम वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिकी करना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद अंतिम रूप से निम्नानुसार डिकी कियाजाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पारिया का नगला तहसील महवा में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

बिशम्भर बनाम हरसहाय वगैरा

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा
1	बिशम्भर पुत्र श्योचन्द जाति मीना निवासी पारिया का नगला राहिन बीओबी शाखा महवा मुर्तहीन	813/1 812/1 809/3 688/2 697/1 698/1 695/3 982/2 1027/3 1028/3	0.12 0.13 0.05 0.05 0.08 0.23 0.03 0.16 0.0150 0.0250
	योग	10	0.89
2	रामफल पुत्र श्योचन्द जाति मीना निवासी पारिया का नगला राहिन एसबीआई शाखा महवा मुर्तहीन	813/2 812/2 811/1 809/4 688/1 699 700 701 9823/1 1027/4 1.026/4	0.12 0.11 0.02 0.05 0.05 0.25 0.01 0.12 0.12 0.0150 0.0250
	योग	11	0.89
3	पंखीराम सियाराम विश्राम पि. हरसहाय गीता रूमाली छोटी सुगनबाई पुत्रियां हरसहाय शुकली देवी पत्नि हरसहाय हि. ब. जाति मीना सा.देह राहिन बीओबी शाखा महवा	813/4 810 809/1 809/2 688/3 695/1 996/2 982/3 1026/1 1027/1	0.01 0.14 0.10 0.05 0.05 0.36 0.13 0.02 0.0250 0.0150
	योग	10	0.90 है0
4	रामसिंह पुत्र श्योचन्द जाति मीना निवासी पारिया का नगला राहिन यूको बैंक शाखा महवा मुर्तहीन	813/3 811/2 809/5 688/4 696 996/1 1026/2 1027/2	0.13 0.12 0.05 0.05 0.36 0.14 0.0250 0.0150
	योग	8	0.89 है0
5	बिशम्भरपुत्र श्योचन्द रामफल पुत्र श्योचन्द हि.1/2 राहिन एसबीआई शा.खा महवा पंखीराम सियाराम विश्राम पि. हरसहाय,गीता रूमाली छोटी	695/2 697/2 698/2 996/3	0.03 0.01 0.03 0.01

	योग	4	0.08 है0

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी में आयी आराजीयात के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादीगण इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ठियां करवाने के अधिकारी होगे। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफत4र हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)